

फर्द अहकाम

रा.म.पा.लि

बनाम प्रेम देवी

सहायक कलक्टर, बस्सी

दावा 11/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

सहायक कलक्टर, बस्सी

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

29/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकील गौरी एवं प्रतिवादी लेख्या उपस्थित। पत्रावली वास्तु बहस कुरेजात रिपोर्ट हेतु दिनांक 03/12/24 को पेश हो।

3/12/24

पत्रावली पेश हुई। वकील द्वारा कन्डोलेंस, कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक... 17/12/24 को पेश हो।

17/12/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/12/24 को पेश हो।

19/12/24

पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से एड वी धारा 133 गुर्जा एवं प्रतिवादी की ओर से एड वी सुधीर शर्मा उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता ने तद्व्यतिहार ^{वैज} ~~बस्सी~~ के पत्रांक 2024/2456 दिनांक 13/08/2024 द्वारा प्रेषित कुरेजात के अनुसार वादपत्र में अंतिम डिक्री फरमाने हेतु अपनी सहमति जाहिर की। उभयपक्ष अधिवक्ता को वादपत्र एवं कुरेजात रिपोर्ट पर सुना गया दौरान बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट में प्रतिवादी प्रेम देवी के बचान पर अशोक कुमार, नरेश कुमार, महेन्द्र कुमार, मुकेश कुमार पुजान

प/र
for
प्रतिवादी
लेख्या
पत्रावली
19/12/24

6

फर्द अहकाम

रामपाल

बगाम

प्रेम देवी

नाम आवालाग : सहायक कालवट्टर, बस्सी

राजस्व भाव/पार्श्वना भन्न/एकदमा नांबर : दावा 11/2024

विशे

| साम संख्या | दिनांक आगा या कारीवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|------------|------------------------|--|
| | | <p>महादेव निवासी बी-8 विष्णुपुरी नाइची की बगीची जगपुर ने दौराने दवा प्रेम देवी का सम्पूर्ण हिस्सा क्रय कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्रज किया जा चुका है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार विभाजन प्रस्ताव में प्राथमिक के अन्वय विभाजन प्रस्ताव बनकर आये है एवं विभाजन प्रस्ताव पक्षकारी की सहमति से बनकर आये है एवं वादी अधिवक्ता ने अपनी सहमति व्यक्त की।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं कुरैजात रिपोर्ट का अवलोकन करने एवं उन्नयपक्ष अधिवक्ता द्वारा सहमति दिये जाने के उपरान्त हम पाते है कि विभाजन प्रस्ताव प्रतियादी के ख्यात पर अशोक कुमार, नरेश कुमार, मुकेश कुमार, महेन्द्र कुमार पुत्रान रामदेव के नाम बनकर आये है एवं उन्नयपक्ष प्राप्त कुरैजात के अनुसार विभाजन की अंतिम डिक्री करवानी हेतु सहमत है अतः प्राथमिक को प्रतियादी सं 4,5,6,7 के रूप में बटोर प्रतियादी पक्षकार संयोजित किया जाता है। प्रतियादी सं 4 लगात की ओर सं 12 श्री लुधीर शर्मा ने उपस्थिति की एवं संशोधित उन्वान पेश किया इसलिये न्यायद्वि को दृष्टान में रखते हुए वादी</p> |

8

फर्द अहकाम

रामपाल

बनाम प्रेम बेनी

न्यायालय : सहायक कलेक्टर, बरसी

व्यवहार/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दाला

11/2024

विशेष विवरण

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---------------------------|---|-------------|
| | <p>कायद तहसीलदार वृंग के पत्रांक 2024/2456 दिनांक 13/08/2024 द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि बाह्यग्रस्त आराजी खसरा न. 190/31 रकबा 0.5058 हेक्टर, खसरा न. 31 रकबा 0.5058 हेक्टर कुल कित 2 कुल रकबा 1.0116 हेक्टर स्थित ग्राम झीझा प.ह देवगांव भू.अ.नि. देवगांव तह. वृंग जि. जयपुर में से खसरा न. 31 रकबा 0.5058 हेक्टर, खसरा न. 190/31/2 रकबा 0.0253 हेक्टर कुल कित 2 कुल रकबा 0.5311 हेक्टर कि भूमि खातेदार अशोक कुमार, नरेश कुमार, महेन्द्र कुमार, मुकेश कुमार पुत्रान रामदेव हि. सम्पूर्ण जाति बलाई निवासी की-8 विष्णुपुरी, नाईयों की बगीची, जयपुर के हिस्से में रहेंगी तथा खसरा न. 190/31/1 रकबा 0.4805 हेक्टर कि भूमि खातेदार रामपाल पुत्र चन्द्रा हि. सम्पूर्ण जाति बैरा सा. देह के हिस्से में रहेंगी। तहसीलदार वृंग उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की कार्यवाही करें। डिक्री पर्याजारी है।</p> | |

फर्द अहकाम


बनाम प्रेम देवी

रामपाल

नाम न्यायालय : सहायक कलेक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दादा 11/2024

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | वि |
|-------------|---------------------------|--|----|
| | | <p>तहसीलदार लूंगा की पालनार्थ इत अशय की तहरीर जारी है। बाद अनुमोदन अनुमोदित कुरेजात व नवशे की प्रति तहसीलदार लूंगा की भिजवाई जावे।</p> <p>पत्रावली फेल ल सुमार दौकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर ख कम है।</p> <p>ग्रह निर्णय आज दिनांक 19/12/24 की खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर बस्सी जिला - जयपुर प्राचीण </p> | |

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्लदाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :- शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :- 11/2024

जीसीएमएस नम्बर :- 2024/217

1. रामपाल पुत्र चन्द्रा जाति बैरवा निवासी ग्राम झींझा तहसील तूंगा जिला जयपुर राजस्थान।

-वादी

बनाम

1. प्रेमदेवी पत्नी श्री रामसहाय जाति रैगर निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

2. उपपंजीयक तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर

3. तहसीलदार तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर

4. अशोक कुमार पुत्र रामदेव

5. नरेश कुमार पुत्र रामदेव

6. मुकेश कुमार पुत्र रामदेव

7. महेन्द्र कुमार पुत्र रामदेव

समस्त जाति बलाई निवासी बी-8 विष्णुपुरी, नाइयों की बगीची, जयपुर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

डिक्री दिनांक 19.12.2024


वादी का वाद तहसीलदार तूंगा के पत्रांक 2024/2456 दिनांक 13/08/2024 द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा न. 190/31 रकबा 0.5058 हैक्ट, खसरा न. 31 रकबा 0.5058 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 1.0116 हैक्ट स्थित ग्राम झींझा प.ह. देवगांव भू.अ.नि. देवगांव तह. तूंगा जि. जयपुर में से खसरा न. 31 रकबा 0.5058 हैक्ट., खसरा न. 190/31/2 रकबा 0.0253 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.5311 हैक्ट कि भूमि खातेदार अशोक कुमार, नरेश कुमार, महेन्द्र कुमार, मुकेश कुमार पुत्रान रामदेव हि. सम्पूर्ण जाति बलाई निवासी बी-8 विष्णुपुरी, नाइयों की बगीची, जयपुर के हिस्से में रहेगी तथा खसरा न. 190/31/1 रकबा 0.4805 हैक्ट कि भूमि खातेदार रामपाल पुत्र चन्द्रा हि० सम्पूर्ण जाति बैरवा सा. देह के हिस्से मे रहेगी। तहसीलदार तूंगा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की कार्यवाही करें।

.....निजी.....मुबलिक.....

बाबत.....खर्चाइस मुकददमें का मय सूद वगैरह....

.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।


बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 19.12.2024 को जारी किया



दस्तख्त.....
सहायक कलेक्टर
ओहदा.....
बस्सी जिला-जयपुर

| | रुपये | पैसे | मुद्दायलह | रुपये | पैसे |
|---|-------|------|---|-------|------|
| मुद्दई स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान | | | स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान | | |

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।


सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण